उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 11/2018

सुखदेव मुनी बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20-02-2019	–:: **आदेश** ::– अभिलेख उपस्थापित। विद्वान् पुनरीक्षण प्राधिकारी–सह–अपर मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के न्यायालय में दायर रिविजन पिटिशन संख्या–6/वन मुक०(सी०)–69/2017 सुखदेव मुनी बनाम वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ में दिनांक–12.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में पुनः वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए अपीलार्थी को सूचना निर्गत कर निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुना। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। Track No-JH-02L-4075 में लदा कोयला से संबंधित कागजातों को नजर अन्दाज करते हुए प्राधिकृत्त पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा राज्यसात वाद संख्या–9/2013 राज्य बनाम् सुखदेव मुनी में दिनांक–19.12.2015 को आदेश पारित को खारिज करते हुए, अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया हैं। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजातों एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि Track No- JH-02L-4075 में लदा कोयला से संबंधित कागजात संदिग्ध प्रतित् होता है। विधिवत् प्रक्रिया के तहत् नियमानुसार निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, असहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अधोहस्ताक्षरी न्यायालय द्वारा राज्यसात अपील वाद संख्या–5/2016 सुखदेव मुनी बनाम राज्य में दिनांक–07.01.2017 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित 20/2/19 उपायुक्त, रामगढ़। 20/2/19 उपायुक्त, रामगढ़।	